

Serial No. **Downloaded**
.....

Price for LDC Rs. 300.00 For Gen. Category
Rs. 150.00 For SC/ST/OBC
For Class-IV Rs. 200.00 For Gen. Category
Rs. 100.00 For SC/ST/OBC

Payment
through D.D.

**APPLICATION FORM FOR NON-TEACHING POST
MOHANLAL SUKHADIA UNIVERSITY, UDAIPUR
RAJASTHAN (PIN 313001)**

Instruction :

1. All answers must be given in words and not by dashes and dots.
2. Separate application is required for each post.
3. The application duly filled in should be sent to the Registrar, Mohanlal Sukhadia University, Udaipur – 313 001 (Rajasthan)
4. The application will not be entertained after the prescribed LAST DATE.
5. The fees is not refundable in any case.
6. (i) D.D. No. Dated Amount Rs.

*Recent
Photograph
Passport Size*

PART – A

(To be filled in the candidate's own hand writing)

1. (a) Name of the Post :
- (c) Pay Scale : Pay scale shall be allowed only after completion of two year as probationary trainee.
- (d) University Advertisement No. :

2. Name in full BLOCK LETTERS :
- (State whether Shrimati or Kumari (Roman)
in case of women candidate)
- Sex : (Devnagri)
- Category : *If SC/ST/OBC attach certificate*

3. Father's / Husband's Name :

4. (A) (i) Present address in full (i)
- (ii) Telephone / Mobile No. (ii)
- if any* Telephone No.
Mobile No. : E-Mail

- (B) Permanent Address :
-
-

5. Date of Birth in words and figures :
- (Christian era) Please attach proof

6. Nationality :

7. Have you ever served this University ? If, so give particulars required below :

Name of post along with the place (s) of posting	Period		Reason for Living
	Form	To	

8. Particulars of reference, who are not any of your relation.

S. No.	Name	Occupation or Position	Address

9. Details of enclosures (In case of testimonials, the attested copies should only be attached)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

10. Additional Remarks : _____

11. (a) Have your ever been arrested/prosecuted/
Convicted by a Criminal Court ? _____

(b) Have you ever been subjected to any _____
Department Enquiry ? If, yes please give details.

12. Have your ever been debarred for appearing at any _____
examination/selection conducted by the Union Public Service _____
Commission/Govt./University/Board of any other _____
Educational Institute/Authority? If so, please give particulars _____

13. If appointed, what notice would you require before joining _____
the post ?

DECLARATION

(a) I hereby declare that the entries in this Form (Part-A & B) are true the best of my knowledge and belief and also that I have not concealed any fact or withheld any information regarding my past service and record and that if any entry is found to be false or incorrect or that if anything is found to have been concealed I will be disqualified for selection of if appointed, will be liable to termination without any notice or compensation.

(b) I hereby submit that I have not been involved in any Criminal Offence or any indiscipline.

Date : _____ Signature of the Candidate _____
Full Name _____

FOR THE USE OF PERSONS IN THE EMPLOYMENT

(Certified by the Head of Department of Office or Employer)

Certified that Shri/Shrimati/Kumari _____

Hold a post of _____ in the Department/ Office/ Institute/ Organization _____
I have no objection to his/ her application being considered for the post and in case of selection he/ she will be relieved as per rules.

No. : _____

Date : _____

Signature _____

Designation _____

Officer Stamp _____

BRIEF PARTICULARS OF THE CANDIDATE

1. Name : _____

2. Father's Name : _____

3. Date of Birth : _____

4. Educational Qualification :

Examination Passed	Board/University	Year	Subjects/Specialization	Division	Marks in %/OGPA
Secondary					
Senior Secondary					
Graduation					
Post-Graduation					
NET/SLET etc.				-	-
Ph. D.			Title :		

5. Experience :

S. No.	Employer	Post Held	Experience (Years)

6. National Awards, if any : _____

Signature of the Candidate

- घोषणा पत्र -

मैं एतदर्थ घोषणा करता हूँ कि नियुक्ति के लिए निर्धारित की निरर्हताओं (Ineligibility) तथा अनियमित या अनुचित साधनों के प्रयोग से सम्बन्धित निम्न शर्तों को पढ़ व समझ लिया है एवं मैं इनसे पूर्ण रूप से मुक्त हूँ -

(अ) नियुक्ति के लिए निरर्हताएं

1. कोई पुरुष अभ्यर्थी, जिसके एक से अधिक जीति पत्नियां है, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा सिवाय उस दशा के जब सरकार अपना यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है, किसी अभ्यर्थी को इस नियम के उस पर लागू होने से छूट न दे दे।
2. कोई महिला अभ्यर्थी, जिसका विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ है, जिसके पहले से कोई जीवित पत्नी है, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी सिवाय उस दशा के जब सरकार अपना यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है, किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम के उस पर लागू होने से छूट न दे दे।
3. कोई भी विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्त का पात्र नहीं होगा यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए 'दहेज' का अर्थ वही है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 28) में दिया गया है।

4. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 01-06-2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संताने हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु दो से अधिक संतानों वाला व्यक्ति तब तक नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं समझा जायेगा जब तक कि उसकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जून 2002 को है, बढ़ोतरी नहीं होती है।

परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है किन्तु पश्चात्पूर्वी किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती है वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा।

परन्तु यह भी कि इस उप-नियम के उपबंध, राजस्थान सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अधीन, किसी विधवा को दी जाने वाली नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे।

(ब) अनियमित या अनुचित साधनों का प्रयोग

ऐसा अभ्यर्थी, जो प्रतिरूपण करने का या बनावटी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज जिनमें गड़बड़ की गयी है, प्रस्तुत करने का या ऐसे कथन करने को जो सही नहीं है या मिथ्या है या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने का या परीक्षा या साक्षात्कार में अनुचित साधनों का प्रयोग करने या उनका प्रयोग करने का प्रयास करने या परीक्षा में प्रवेश पाने या साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन काम में लाने का दाषी है या सरकार अथवा समिति द्वारा दोषी घोषित किया गया है तो दाण्डिक कार्यवाही किये जाने का दायी होने के अतिरिक्त -

(क) अभ्यर्थियों के चयन हेतु सरकार या समिति द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में प्रवेश पाने

या किसी साक्षात्कार में उपस्थित होने से सरकार या, यथास्थिति, समिति द्वारा और

(ख) सरकार के अधीन नियोजन से सरकार द्वारा, या तो स्थायी तौर पर या किसी

विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए विवर्जित किया जा सकेगा।

हस्ताक्षर मय दिनांक

(नाम)

फार्म संख्या :-

पद का नाम :-

विषय :-

वि.वि. विज्ञापन संख्या : 1/2011

दिनांक :